Amendment (3)

उत्तर प्रदेश सरकार
प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2
संख्या–1900 / 43–2–2006–15 / 2(2) / 03 टी.सी.14
लखनऊः दिनांकः 27 नवम्बर, 2006

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005(अधिनियम संख्या–22,सन्,2005) की धारा–27 द्वारा प्रदत्त ाक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार(फीस और लागत विनियम) नियमावली,2006 में संशोधन करने की दृ ि ट से निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार(फीस और लागत विनियम)(संशोधन) नियमावली,2006

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियम) (संशोधन) नियमावली,2006 कही जाएगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–4,5 तथा 6 का संशोधन 2– उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार(फीस और लागत विनियम)नियमावली,2006 के नियम 4,5 तथा 6 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियमके स्थान पर स्तम्भ –2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4 उक्त अधिनियम की धारा–6 की उपधारा(1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ संबधित लोक प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा एस रूपये का आवेदन ुल्क संलग्न किया जाएगा।	4. उक्त अधिनियम की धारा–6 की उपधारा(1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ संबधित लोक प्राधिकारी को संदेय समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा एस रूपये का आवेदन ुल्क संलग्न किया जाएगा।

5. उक्त अधिनियम की धारा–7 की उपधारा(1) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक, द्वारा निम्नलिखित दरों पर ुल्क प्रभारित किया जाएगाः– (क) सृजित या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक पृ ठ (ए–4 या ए–3 आकार के कागजों में) के लिए दो रूपयें, (ख)बृहत्तर आकार के कागजों में किसी प्रतिलिपि का वास्वविक प्रभार या लागत मूल्य, (ग) नमूनों या प्रतिदशों के लिए वास्वविक लागत या मूल्य और जहाँ सूचना निर्धारित मूल्य के प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो वहाँ इस प्रकार नियत किया गया मूल्य, (ध) अभिलखों या प्रतिदशों के लिए प्रथम धण्टे के लिए दस रूपये का ुल्क और तत्पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट के लिए (या उसका आंशिक भाग) पाँच रूपये का ुल्क।	5. उक्त अधिनियम की धारा–7 की उपधारा(1) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक, द्वारा निम्नलिखित दरों पर ुल्क प्रभारित किया जाएगाः– (क) सृजित या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक पृ ठ (ए–4 या ए–3 आकार के कागजों में) के लिए दो रूपयें, (ख)बृहत्तर आकार के कागजों में किसी प्रतिलिपि का वास्वविक प्रभार या लागत मूल्य, (ग) नमूनों या प्रतिदशों के लिए वास्वविक लागत या मूल्य और जहाँ सूचना निर्धारित मूल्य के प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो वहाँ इस प्रकार नियत किया गया मूल्य, (ध) अभिलखों या प्रतिदशों के लिए प्रथम धण्टे के लिए दस रूपये का ुल्क और तत्पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट के लिए (या उसका आंशिक भाग) पाँच रूपये का ुल्क।
6. धारा–7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा ुल्क निम्नलिखित दरों पर प्रभारित किया जाएगाः– (क) डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क में प्रदान की गई सूचना के लिए प्रति डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क पचास रूपये, और	6. धारा–7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा ुल्क निम्नलिखित दरों पर प्रभारित किया जाएगाः– (क) डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क में प्रदान की गई सूचना के लिए प्रति डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क पचास रूपये, और
(ख) मुद्रित रूप में प्रदान की सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन हेतु नियत मूल्य पर या प्रकाशन से उद्धरणों के लिए दो रूपये प्रतिलिपि का प्रति पृ ठ।	(ख) मुद्रित रूप में प्रदान की सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन हेतु नियत मूल्य पर या प्रकाशन से उद्धरणों के लिए दो रूपये प्रतिलिपि का प्रति पृ ठ।

आज्ञा से,

(बी0 एम0 मीना)
सचिव

पृ ठांकन संख्या–1900(1)/43–2–2006–15/2(2)/03 टी.सी.14 तद्दिनांक

उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेि ातः–

1– संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्लीः
2– राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– अध्यक्ष, राजस्व परि ाद, उ0प्र0, लखनऊ।
4– कृि ा उत्पादन आयुक्त आयुक्त, उ0प्र0 ाासन,लखनऊ।
5– आधौगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 ाासन,लखनऊ।
6– समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 ाासन,लखनऊ।
7– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0,लखनऊ।
8– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमुत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9– समस्त प्रमुख सचिव/सचिवच, उत्तर प्रदेश ाासन/प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्यसचिव।
10– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परि ाद, उत्तर प्रदेश।
11– समस्त मण्डायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12– समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
13– समस्त विभागाग्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
14– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
15– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को सूचना की अंगेजी रूपान्तरण सहित इस अनुरोध के साथ प्रेि ात कि वे कृपया इस अधिसूचना को दिनांक–27,नवम्बर,2006 के असाधारण गजट विधायी परिशि ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित करने का क ट करें और अधिसूचना की 2000 प्रतियाँ प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश सचिवालय को ाीघ्र उपलब्ध कराने का क ट करें।
16– संसदीय कार्य अनुभाग–1
17– उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
18– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जगदीश लाल श्रीवास्तव)

संख्या- 993 /43-2-2005

प्रेषक,

गिरिराज शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 19 अक्टूबर, 2005

विषय: - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शुल्क के संबंध में ।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12-10-2005 से लागू हो गया है, जिसकी प्रति आपको पृ.1 में प्रेषित करते हुए अधिनियम के प्रावधानों के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जा चुका है ।

2- अधिनियम की धारा 6(1) में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित आवेदन पत्र देगा व ऐसा शुल्क देगा जो निर्धारित किया गया हो ।

3- अधिनियम की धारा 27(2) में सरकार द्वारा लिए जाने वाले शुल्क के निर्धारण का प्रावधान है जिस हेतु नियमावली बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है ।

4- उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 (2)(बी)(सी) के अन्तर्गत निम्नलिखित रूप से शुल्क निर्धारित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें :-

(1) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा-1 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु (गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करनेवाले व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं ली जायेगी जिसके लिए उसे प्रमाण पत्र देना होगा)	रु0 10-00 (प्रति आवेदन पत्र)
(2) किसी अभिलेख की प्रतिलिपि हेतु (ए-4) या (ए-3) साइज पेपर पर प्रतिलिपि	रु0 2 -00 (प्रतिपृष्ठ)
(3) लार्जर साइज के पेपर पर प्रतिलिपि हेतु	(वास्तविक व्यय प्रतिपृष्ठ)
(4) सैम्पल्स अथवा मॉडल्स के लिए उनका वास्तविक मूल्य और कम सूचना छपी मूल्य से संबंधित है वहाँ निर्धारित छपा मूल्य	

---2/

---2---

(5) अभिलेखों का निरीक्षण प्रथम घण्टा उसके बाद प्रत्येक 15 मिनट की अवधि के लिए	रू0 10-00 रू0 5-00
(6) डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क द्वारा सूचना प्राप्त करने पर	रू0 50-00 (प्रत्येक)
(7) प्रिंटेड सामग्री की सूचना हेतु ऐसे प्रिंटेड सामग्री की प्रकाशक की नियत दर पर	
(8) प्रकाशित सामग्री के उद्धरण की प्रतिपृष्ठ फोटोकापी के लिए	रू0 2-00 (प्रतिपृष्ठ)

5- उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क नकद अथवा संबंधित लोक प्राधिकारी को देय डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चेक से लिया जा सकेगा तथा प्रत्यावेदन कर्ता को शुल्क रसीद प्रदान की जायेगी ।

6- कृपया अपने अधीन सभी विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को उक्त से अवगत कराने का कष्ट करें । मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने मण्डल एवं जनपद के सभी कार्यालयों को अपने स्तर से भी अवगत करा देवें व निर्दिष्ट कर देवें कि कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीन सभी जन सूचनाअधिकारियों को इन आदेशों से अवगत करा देवें ।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0सं0- ई-9-542/दस-05 दिनांक 17-x-05 के अनुसार निर्गत किया जा रहा है ।

भवदीय,

गिरिराज वर्मा
प्रमुख सचिव ।

संख्या- 993 (1)/43-2-2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन ।

आज्ञा से,
Navtej Singh
(नवतेज सिंह)
सचिव ।